[illegible]

[illegible] आज दिनांक 29/3/16 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 20/6/16 को
की जावेगी।

20-6-16 पि० पी० लोक अभियोजक के व्यस्त होने के
कारण आज दिनांक 20-6-16 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 30-8-16 को
की जावेगी।

30-8-16 पत्रावली अवलोकन उप. प्रतिवादी नं. 2 की पूर्व से दि. 7-1-13 को दाखिल पत्रावली की जा उसी से दि. 21-1-14 की आदेशिका से स्पष्टतः है प्रतिवादी नं. 2 का शीघ्र वापिस आदेशिका से स्पष्टतः पत्रावली से गया है। अतः दि. 7-1-13 का आदेश पत्रावली से गया है। पत्रावली वापसी पेश लावने प्रतिवादी यथावत बचत जाता है। पत्रावली वापसी पेश लावने प्रतिवादी नं. 1 की जोरी रिपोर्ट दि. 6-10-16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

6/10/16 वकील प्रार्थी अधिवक्ता। वकील वादिगण प्रतिवादी नं. 1 को नोटिस तामील करें। पत्रावली दिनांक 12/12/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

13/12/16 पत्रावली आज दिनांक 12/12/16 का नव कार्यालय से पेश हुई। वादीगण उपस्थित नहीं आये और नहीं वादीगण के वकील उपस्थित आये। कारण आवश्यक सम्बन्धी गवाही कर आवश्यक सम्बन्धी कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः वादी गण धारा आदेश 17 में स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल है। अतिरिक्त सत्य है।

उपखण्ड अधिकारी